बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग।

आदेश

संचिका संख्या– 5 नि०गो०वि० (2) 03/2021– ...../पटना–15, दिनांक–.....

विभागीय लोक जन सहभागिता योजनान्तर्गत बेतिया जिले के मैनाटॉड़ मत्स्य बीज प्रक्षेत्र की बंदोबस्ती निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना के पत्रांक 799 दिनांक 05.06.2016 के द्वारा दिनांक 01.07.2016 के प्रभाव से प्रतिवर्ष ऑफर राशि ₹ 1,60,000/–(एक लाख साठ हजार रूपये) पर श्री मनोज कुमार, पिता– स्व० धर्मदेव साह, ग्राम– रामपुरवा, पोस्ट– मैनाटॉड, जिला– प० चम्पारण (बेतिया) के साथ किया गया।

2. जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया के द्वारा पी०पी० मोड योजनान्तर्गत श्री मनोज कुमार, मैनाटॉड मत्स्य बीज प्रक्षेत्र की बंदोबस्ती के कार्यो के प्रगति की समीक्षा की गयी तथा पाया गया कि बंदोबस्ती के पश्चात किये गये एकरारनामा में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि उक्त मत्स्यजीवी प्रक्षेत्र पर हैचरी निमार्ण कार्य एक वर्ष के अंदर लाभुक के द्वारा किया जायेगा परंतु लाभुक श्री मनोज कुमार को उक्त विषय पर कई बार स्मारित करने के बावजूद उनके द्वारा कतिपय कारणो का हवाला देते हुए हैचरी का निमार्ण नहीं किया गया। लाभुक श्री मनोज कुमार के द्वारा एकरारनामा का उल्लंघन एवं विभागीय लक्ष्यों को पूर्ण नहीं करने के कारण मत्स्य निदेशालय के पत्रांक 587 दिनांक 16.10.2019 के द्वारा लोक जन सहभागिता के आधार पर प० चम्पारण, बेतिया जिले के मैनाटॉड मत्स्य बीज प्रक्षेत्र की बंदोबस्ती को रद्द कर दिया गया ।

3. लोक जन सहभागिता के आधार पर श्री मनोज कुमार के साथ बंदोबस्त मैनाटॉड मत्स्य बीज प्रक्षेत्र की बंदोबस्ती रद्द किये जाने फलस्वरूप उत्पन्न विवाद के आलोक में मामले की स्थानीय जाँच कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश श्री उदय प्रकाश, तदेन उप मत्स्य निदेशक, तिरहुत प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर सम्प्रति प्रभारी उप मत्स्य निदेशक, भागलपुर को दिया गया।

4. उक्त के अनुपालन में श्री उदय प्रकाश द्वारा प्रश्नगत मामले की स्थलीय कर जाँच प्रतिवेदन अपने पत्रांक 31 दिनांक 15.12.2021 द्वारा निदेशक, मत्स्य को समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन में उनके द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि परिवादी श्री मनोज कुमार को हैचरी निर्माण हेतु योजना प्राक्कलन जिला मत्स्य कार्यालय, बेतिया के पत्रांक 1168 दिनांक 24.10.2018 कार्यालय द्वारा निर्गत किया गया है, परंतु उक्त प्राक्कलन एवं पत्र को निबंधित डाक द्वारा लगभग 01 वर्ष के पश्चात दिनांक 03.09.2019 को पोस्ट किया गया है, जो परिवादी श्री कुमार को दिनांक 06.09.2019 को प्राप्त हुआ है। सम्भवतः यदि समय से योजना प्राक्कलन प्रेषित किया गया होता तो परिवादी श्री कुमार को हैचरी निर्माण का पर्याप्त समय मिलता और उसकी बंदोबस्ती रद्द करने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। श्री प्रकाश द्वारा जाँचोपरांत प्रश्नगत बंदोबस्ती को रद्द होने में जिला मत्स्य कार्यालय, प० चम्पारण (बेतिया) को जिम्मेवार बतालाया गया।

5. श्री प्रकाश द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त जाँच प्रतिवेदन एवं साक्ष्य की समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री प्रकाश द्वारा जो साक्ष्य दिया गया है उससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि निबंधित डाक किस तिथि को जिला मत्स्य कार्यालय, प० चम्पारण द्वारा प्रेषित किया गया था। इसप्रकार का प्रतिवेदन श्री प्रकाश द्वारा पूर्व पट्टेदार के साथ मिलिभगत कर एक पक्षीय जाँच को दर्शाता है। साथ ही साथ मत्स्य निदेशालय को भी दिग्भ्रमित करने का कुत्सित प्रयास किया गया। श्री प्रकाश के उक्त कृत्य को वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं कार्य के प्रति लापरवाही मानते हुये उक्त आरोपों के लिए आरोप–पत्र गठित कर श्री प्रकाश के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा निदेशक, मत्स्य के द्वारा किया गया।

6. उक्त अनुशंसा के आलोक में श्री प्रकाश के विरूद्ध आरोप–पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 130 नि०गो०, दिनांक 19.04.2023 के द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री प्रकाश के द्वारा पत्रांक 05–कैम्प, दिनांक 12.06.2023 के माध्यम से स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें यह अंकित किया गया कि स्थलीय जाँच के क्रम में जिला मत्स्य कार्यालय, बेतिया में उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया गया। इस क्रम में पाया गया कि पत्रांक 1168 दिनांक 24.10.2019 निर्गत किया गया है परंतु उक्त तिथि को पत्र निबंधित किये जाने संबंधित रसीद नहीं लगा है। साथ ही टिकट पंजी में भी उस तिथि को टिकट जारी नहीं है। अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन जिला मत्स्य पदाधिकारी, बेतिया के द्वारा पत्रांक 1168, दिनांक 24.10.2019 पट्टेदार को हस्तगत कराने हेतु कनीय अभियंता एवं क्षेत्रीय प्रभारी को निदेश दिया गया परंतु चपरासी बही से हस्तगत कराने का प्रमाण उपलब्ध नहीं है। टिकट पंजी में पत्र निर्गत दिनांक 24.10.2018 एवं पत्र को निबंधित किये जाने का दिनांक 03.09.2019 को डाक टिकट जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार श्री प्रकाश द्वारा बेतिया कार्यालय से प्रश्नगत पत्र को डाक द्वारा काफी विलंब से भेजे जाने से संबंधित साक्ष्यों को उपलब्ध कराते हुए आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

7. श्री प्रकाश के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि लाभुक श्री मनोज कुमार को हैचरी निर्माण हेतु योजना प्राक्कलन जिला मत्स्य कार्यालय, बेतिया के पत्रांक 1168 दिनांक 24.10.2018 को निर्गत है। यह जिला मत्स्य पदाधिकारी, बेतिया द्वारा सत्यापित साक्ष्य है। डाक उपाधीक्षक का कार्यालय, बेतिया द्वारा लोक सूचना अधिकार के तहत प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उक्त प्राक्कलन से संबंधित पत्र 1168 दिनांक 24.10.2018 निबंधित डाक संख्या EF742976117N दिनांक 03.09.2019 से भेजा गया है, जो लाभुक श्री मनोज कुमार को 06.09.2019 को प्राप्त हुआ है। अर्थात जिला मत्स्य कार्यालय, बेतिया के पत्रांक 1168 दिनांक 24.10.2018 को निर्गत पत्र डाक विभाग को स्पीड पोस्ट करने के लिए दिनांक 03.09.2019 यानि 11 महीना विलंब से भेजा गया है, जो जाँच पदाधिकारी श्री उदय प्रकाश के कथन की पुष्टि करता है। मामले की समीक्षा के क्रम में तदेन जिला मत्स्य पदाधिकारी, बेतिया, श्री मनीष श्रीवास्तव से भी स्थिति स्पष्ट करायी गयी तो उनके द्वारा भी समर्पित जवाब में अप्रत्यक्ष रूप से विलंब से डाक प्रेषण की बात स्वीकार किया गया है। साथ ही संयुक्त निदेशक, मत्स्य द्वारा भी अंकित किया गया है कि श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा डाक में विलंब होने के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेवारी को स्वीकार किया गया है।

8. विभाग द्वारा समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि प्रश्नगत मामले की जाँच निदेशक, मत्स्य के द्वारा पूर्व में भी द्विसदस्यीय जाँच समिति गठित कर करायी गयी थी। द्विसदस्यीय समिति द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन ज्ञापांक 856, दिनांक 27.11.2021 में यह मंतव्य प्रतिवेदित है कि प्रश्नगत पत्र बेतिया कार्यालय द्वारा विलंब से प्रषित किया गया है।

उक्त वर्णित सम्पूर्ण तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरांत श्री प्रकाश के विरूद्ध गठित आरोप–पत्र के संदर्भ में उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए आरोप मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

अतः सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री उदय प्रकाश, तदेन उप मत्स्य निदेशक, मुजफ्फरपुर सम्प्रति प्रभारी उप मत्स्य निदेशक, भागलपुर के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए गठित आरोप से मुक्त किया जाता है।

ह०/–

(स्मिता सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– **5 नि०गो०वि० (2) 03/2021–** ...../पटना–15, दिनांक–.....

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/–
(स्मिता सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– **5 नि०गो०वि० (2) 03/2021–** ...../ पटना–15, दिनांक–.....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पटना/मुजफ्फरपुर/भागलपुर/प० चम्पारण (बेतिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/–
(स्मिता सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– **5 नि०गो०वि० (2) 03/2021–** 188 पटना/ पटना–15, दिनांक– 17/04/2025

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/उप मत्स्य निदेशक, भागलपुर/मुजफ्फरपुर/जिला मत्स्य पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/भागलपुर/प० चम्पारण (बेतिया)/श्री उदय प्रकाश, तदेन उप मत्स्य निदेशक, मुजफ्फरपुर सम्प्रति प्रभारी उप मत्स्य निदेशक, भागलपुर/प्रशाखा पदाधिकारी–01 एवं 02/विभागीय आई० टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/4/25

(स्मिता सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

6)